

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, कुचामनसिटी जिला डीडवाना-कुचामन (राज.)

पीठासीन अधिकारी :- सुनील कुमार I,RAS

राजस्व वाद संख्या :- 05/2020 RCMS 2020/00012

वादीगण :-

1. चन्द्राराम पुत्र नानूराम जाति जाट उम्र 63 वर्ष
 2. रामेश्वरलाल पुत्र नानूराम जाति जाट उम्र 58 वर्ष
 3. भंवरलाल पुत्र पेमाराम जाति जाट उम्र 44 वर्ष
 4. हणमानराम पुत्र पेमाराम जाति जाट उम्र 39 वर्ष
- निवासियान ग्राम आसपुरा (जोड़पुरा) तहसील कुचामन सिटी जिला डीडवाना-कुचामन, राज.।

बनाम

प्रतिवादीगण :-

1. अन्जू चौधरी पत्नी बलवीरसिंह
2. उगमाराम पुत्र मगनाराम
3. उगमाराम पुत्र गुलाराम
4. ओमप्रकाश पुत्र भंवरलाल
5. कमली देवी पत्नी परसराम
6. केशाराम पुत्र गुलाराम
7. काना पुत्र खींवा
8. गंगा पुत्र खींवा
9. गिरधारीलाल पुत्र भंवरलाल
10. रमेश पुत्र ईश्वरराम
11. कृष्ण कुमार पुत्र ईश्वरराम
12. शान्ति देवी पुत्री ईश्वरराम
13. प्रियंका पुत्री बलवीर सिंह
14. नीरज चौधरी पुत्र बलवीर सिंह
15. चन्दा देवी पत्नी मोटाराम
16. दीक्षा पुत्री चेनाराम
17. पेमाराम पुत्र बोदूराम
18. नरसीराम पुत्र बोदूराम
19. दुर्गाराम पुत्र बोदूराम
20. बालूराम पुत्र जेठुराम
21. रेखा पुत्री जेठुराम
22. ज्योति पुत्री जेठुराम
23. छोटी देवी पत्नी बालूराम
24. ज्ञाना पुत्र खींवा
25. मदनाराम दत्तक पुत्र चन्द्राराम
26. झमकू देवी पत्नी सुखाराम
27. तुलछी देवी पत्नी सेवाराम
28. पदमाराम पुत्र गुलाराम
29. प्रकाश पुत्र ईश्वरराम
30. बन्नाराम पुत्र गुलाराम
31. बाबूलाल पुत्र मोतीराम



[Signature]
उपखण्ड अधिकारी
कुचामन सिटी (डीडवाना-कुचामन)

32. बोदूराम पुत्र तेजाराम
33. भंवरा देवी तेजाराम
34. मन्जू देवी पत्नी रामूराम
35. मदनलाल पुत्र भंवरलाल
36. मोटाराम पुत्र दानाराम
37. मोहनी देवी पत्नी दानाराम
38. रूकम देवी पत्नी उगमाराम
39. रूपा देवी पत्नी दोलाराम कीलका
40. रामनिवास पुत्र तेजाराम
41. रामूराम पुत्र मोतीराम
42. भागूराम पुत्र रामेश्वर
43. संजू देवी पत्नी रामेश्वर
44. रामेश्वरलाल पुत्र भंवरलाल
45. रामेश्वरलाल पुत्र मन्नाराम
46. लक्ष्मीनारायण पुत्र भंवरलाल
47. विमला देवी पत्नी कानसिंह
48. सेवाराम पुत्र कानाराम
49. सोहनराम पुत्र अर्जुनराम
50. हुक्माराम पुत्र मन्नाराम
51. मोहनी देवी पत्नी हेमाराम
52. हजारी पुत्र हेमाराम
53. बेगाराम पुत्र हेमाराम
54. बलराम पुत्र हेमाराम
55. भागोती पुत्री हेमाराम
56. मंजू पुत्री हेमाराम

- जाति समस्त जाट निवासियान ग्राम आसपुरा (जोड़पुरा) तहसील कुचामन सिटी,
57. सुनिता देवी पत्नी भंवरलाल जाति जाट निवासी ग्राम भंवरपुरा तहसील कुचामन सिटी
 58. फूली देवी पत्नी गोविन्दराम जाति जाट निवासी धोलासरी तहसील दांतारामगढ़ जिला सीकर,
 59. मैनेजर स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया शाखा कुचामन सिटी।
 60. मैनेजर पंजाब नेशनल बैंक शाखा कुचामन सिटी।
 61. मैनेजर एक्सिस बैंक शाखा कुचामन सिटी।
 62. मैनेजर सेन्ट्रल बैंक ऑफ इण्डिया शाखा कुचामन सिटी।
 63. मैनेजर बैंक ऑफ इण्डिया शाखा कुचामन सिटी।
 64. मैनेजर बैंक ऑफ बड़ौदा शाखा कुचामन सिटी।
 65. मैनेजर ओरियन्टल बैंक ऑफ कॉमर्स शाखा कुचामन सिटी।
 66. मैनेजर जयपुर थार ग्रामीण बैंक शाखा कुचामन सिटी।
 67. मैनेजर सेन्ट्रल बैंक ऑफ इण्डिया शाखा जिलिया।
 68. राजस्थान सरकार जरिए प्रतिनिधि तहसीलदार कुचामन सिटी (भूमिधारी)।
- दावा इस्तकरार हक, भू-विभाजन व स्थाई निषेधाज्ञा बाबत अन्तर्गत धारा 88, 53, 188 राज. काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थित :- श्री राजेश गुर्जर अधिवक्ता वादीगण की ओर से।

निर्णय



(Signature)
उपखण्ड अधिकारी
कुचामन सिटी (डीडवाना-कुचामन)

दिनांक :- 23/01/2025

वकील वादी द्वारा प्रस्तुत वाद का सार संक्षेप में इस प्रकार से है कि ग्राम आसपुरा तहसील कुचामन सिटी की सरहद में कृषि भूमि खसरा नं. 382 रकबा 2.77 हैक्टर, खसरा नं. 383 रकबा 2.61 हैक्टर, खसरा नं. 384 रकबा 2.33 हैक्टर, खसरा नं. 385 रकबा 7.21 हैक्टर, खसरा नं. 387 रकबा 5.25 हैक्टर, खसरा नं. 388 रकबा 4.60 हैक्टर, खसरा नं. 392 रकबा 4.20 हैक्टर, खसरा नं. 396 रकबा 2.55 हैक्टर, खसरा नं. 397 रकबा 1.36 हैक्टर, खसरा नं. 398 रकबा 0.01 हैक्टर, खसरा नं. 399 रकबा 0.15 हैक्टर, खसरा नं. 400 रकबा 0.01 हैक्टर, खसरा नं. 401 रकबा 0.10 हैक्टर, खसरा नं. 402 रकबा 3.65 हैक्टर, खसरा नं. 403 रकबा 3.78 हैक्टर, खसरा नं. 404 रकबा 3.25 हैक्टर, खसरा नं. 405 रकबा 2.75 हैक्टर, खसरा नं. 406 रकबा 3.10 हैक्टर, खसरा नं. 407 रकबा 2.76 हैक्टर, खसरा नं. 408 रकबा 0.21 हैक्टर, खसरा नं. 409 रकबा 0.99 हैक्टर, खसरा नं. 410 रकबा 0.44 हैक्टर, खसरा नं. 411 रकबा 1.82 हैक्टर, खसरा नं. 430 रकबा 1.55 हैक्टर, खसरा नं. 431 रकबा 2.10 हैक्टर, खसरा नं. 432 रकबा 0.47 हैक्टर, खसरा नं. 433 रकबा 1.70 हैक्टर, खसरा नं. 434 रकबा 0.01 हैक्टर, खसरा नं. 435 रकबा 0.04 हैक्टर, खसरा नं. 436 रकबा 2.31 हैक्टर, खसरा नं. 437 रकबा 1.30 हैक्टर, खसरा नं. 544/412 रकबा 0.55 हैक्टर, खसरा नं. 548/429 रकबा 0.10 हैक्टर, खसरा नं. 549/429 रकबा 0.20 हैक्टर कुल रकबा 66.23 हैक्टर स्थित चली आ रही है। उपरोक्त भूमि वाद पत्र में वर्णित कृषि भूमि वादीगण एवं प्रतिवादीगण की सहखातेदारी सहहिस्सेदारी की आई हुई है। जिस पर वादीगण व प्रतिवादीगण ने मौके पर बंटवारा करके अलग-अलग काबिज होकर उपयोग-उपभोग करते आ रहे हैं, लेकिन राजस्व रेकॉर्ड में शामिल होती दर्ज चली आ रही है। उपरोक्त भूमि में वादीगण एवं प्रतिवादीगण अपने-अपने हक-हिस्से अनुसार भूमि पर काबिज होकर उपयोग-उपभोग करते आ रहे हैं, जिसमें मौके पर रास्ता कायम करते हुए मौके पर काबिज होकर कृषि कार्य करते आ रहे हैं। उपरोक्त खसरा नम्बरान की कुल भूमि रकबा 66.23 हैक्टर में से वादीगण अपने हक व हिस्से की भूमि रकबा 5.19 हैक्टर की खातेदारी अलग करवाकर नक्शे में तरमीम करवाना चाहते हैं। खसरा नं. 384, 385, 403 व 404 में मौके पर अपने हक व हिस्से की भूमि रकबा 5.19 हैक्टर भूमि पर वादीगण काबिज हैं तथा भू-विभाजन करके भूमि का उपयोग उपभोग करते आ रहे हैं जो निम्नवत हैं :-

खसरा नम्बर	रकबा	हक-हिस्सा
384	मे से 5.19 हैक्टर	चन्द्राराम पुत्र नानूराम 1.73 हैक्टर
385		रामेश्वरलाल पुत्र नानूराम 1.73 हैक्टर
403		भंवरलाल पुत्र पेमराम 0.8650 हैक्टर
404		हणमानराम पुत्र पेमराम 0.8650 हैक्टर

उपरोक्त खसरा नं. 384, 385, 403, 404 में से 5.19 हैक्टर भूमि की खातेदारी वादीगण का हिस्सा दर्शाते हुए वादीगण की शामिल होती खातेदारी रखते हुए भू-विभाजन किया जाकर नक्शे में तरमीम किया जाने का आदेश पारित किया जावे। मौके पर काबिज वादीगण चन्द्राराम, रामेश्वरलाल पुत्रान नानूराम, भंवरलाल, हणमानराम पुत्रान पेमराम जाति सभी जाट निवासियान ग्राम आसपुरा (डोडपुरा) व प्रतिवादीगण उगमाराम, केशाराम, पदमाराम, बन्नाराम पुत्रान गुलाराम, कानाराम,



उपखण्ड अधिकारी
कुचामन सिटी (डोडपुरा-कुचामन)

गंगाराम, ज्ञानाराम पुत्रान खींवाराम, मदनाराम पुत्र चन्द्राराम, झमकू देवी पत्नी सुखाराम, बोदूराम, रामनिवास पुत्रान तेजाराम, भंवरी देवी पत्नी तेजाराम, रामेश्वरलाल, हुक्माराम पुत्रान मन्नाराम, हजारी, बेगाराम, बलराम पुत्रान हेमाराम, मोहनी देवी पत्नी हेमाराम जाति सभी जाट निवासियान ग्राम आसपुरा (जोड़पुरा) तहसील कुचामन सिटी जिला नागौर, राजस्थान उपरोक्त सभी के हिस्से में से 12 फीट का मौके पर रास्ता कायम कर रखा है। अतः मौका स्थिति के अनुसार मौके पर काबिज अनुसार खसरा नं. 388, 389, 403, 404 की दक्षिणी सीमा पर पश्चिम से पूर्व 12 फीट का मौके पर रास्ता कायम कर रखा है। अतः मौका स्थिति के अनुसार रास्ता शामलाती काटते हुए भू-विभाजन किया जाकर नक्शे में तरमीम किया जाने का आदेश पारित किया जावे। उपरोक्त भूमि ऊपर वर्णित हक-हिस्से अनुसार भू-विभाजन करके उपयोग-उपभोग करते आ रहे हैं। उक्त भूमि के वादीगण एवं प्रतिवादीगण अपने-अपने बंट की भूमि पर काबिज होकर अलग-अलग भू-विभाजन करके बाड़ डोल लगा रखी है, जिसका अलग-अलग राजस्व रिकॉर्ड में भू-विभाजन वादीगण करवाना चाहते हैं, इसलिए भू-विभाजन कर रास्ता कायम करते हुए वादीगण की Separate Holding कायम किया जाना आवश्यक हो गया है, इसलिए भू-विभाजन का वाद लाना आवश्यक हुआ है। उपरोक्त भूमि में से वादीगण अपने बंट की भूमि का अलग Separate Holding कायम कराना चाहते हैं, जिससे भविष्य में बंटवारा व रास्ते को लेकर किसी प्रकार का कोई विवाद इत्यादि नहीं हो व सरकारी मुआवजा ऋण इत्यादि लेने में सुविधा हो इसलिए यह भू-विभाजन का वाद लाना लाजमी हुआ है, जिसके वादीगण अधिकारी हैं। बिनाय दावा कुछ दिनों से पटवारी हल्का को अपने बंट की भूमि की अलग Holding कायम करने बाबत कहा तो उन्होंने प्रतिवादीगण की सहमति चाही तो प्रतिवादीगण से कहा तो इतने दिनों तक तो आश्वासन देते रहे अब साफ इंकार कर दिया व बेदखल की धमकियां लगातार दिये जाने पर बमुकाम ग्राम आसपुरा तहसील कुचामन सिटी में पैदा हुआ है। इस्तदुआ वादीगण निम्न प्रकार है :-

(i) कि ग्राम आसपुरा तहसील कुचामन सिटी की सरहद में स्थित कृषि भूमि खसरा नं. 382 रकबा 2.77 हैक्टर, खसरा नं. 383 रकबा 2.61 हैक्टर, खसरा नं. 384 रकबा 2.33 हैक्टर, खसरा नं. 385 रकबा 7.21 हैक्टर, खसरा नं. 387 रकबा 5.25 हैक्टर, खसरा नं. 388 रकबा 4.60 हैक्टर, खसरा नं. 392 रकबा 4.20 हैक्टर, खसरा नं. 396 रकबा 2.55 हैक्टर, खसरा नं. 397 रकबा 1.36 हैक्टर, खसरा नं. 398 रकबा 0.01 हैक्टर, खसरा नं. 399 रकबा 0.15 हैक्टर, खसरा नं. 400 रकबा 0.01 हैक्टर, खसरा नं. 401 रकबा 0.10 हैक्टर, खसरा नं. 402 रकबा 3.65 हैक्टर, खसरा नं. 403 रकबा 3.78 हैक्टर, खसरा नं. 404 रकबा 3.25 हैक्टर, खसरा नं. 405 रकबा 2.75 हैक्टर, खसरा नं. 406 रकबा 3.10 हैक्टर, खसरा नं. 407 रकबा 2.76 हैक्टर, खसरा नं. 408 रकबा 0.21 हैक्टर, खसरा नं. 409 रकबा 0.99 हैक्टर, खसरा नं. 410 रकबा 0.44 हैक्टर, खसरा नं. 411 रकबा 1.82 हैक्टर, खसरा नं. 430 रकबा 1.55 हैक्टर, खसरा नं. 431 रकबा 2.10 हैक्टर, खसरा नं. 432 रकबा 0.47 हैक्टर, खसरा नं. 433 रकबा 1.70 हैक्टर, खसरा नं. 434 रकबा 0.01 हैक्टर, खसरा नं. 435 रकबा 0.04 हैक्टर, खसरा नं. 436 रकबा 2.31 हैक्टर, खसरा नं. 437 रकबा 1.30 हैक्टर, खसरा नं. 544/412 रकबा 0.55 हैक्टर, खसरा नं. 548/429 रकबा 0.10 हैक्टर, खसरा नं. 549/429 रकबा 0.20 हैक्टर कुल रकबा 66.23 हैक्टर में से खसरा नं. 384, 385, 403, 404 में से 5.19 हैक्टर भूमि में वादी सं. 1 चन्द्राराम पुत्र नानूराम का हिस्सा 1/3, वादी सं. 2 रामेश्वरलाल पुत्र चन्द्राराम का हिस्सा 1/3, वादी सं. 3 भंवरलाल पुत्र पेमाराम का हिस्सा 1/6, वादी सं. 4 हणमानराम पुत्र



[Handwritten signature]
उपखण्ड अधिकारी
कुचामन सिटी (डोडवाना-कुचामन)

पेमाराम का हिस्सा 1/6 के काबिज खातेदार कृषक हैं इस आशय की खातेदारी अधिकारों की घोषणा सादिर फरमाई जावे एवं खसरा नं. 388, 389, 403, 404 की दक्षिणी सीमा पर पश्चिम से पूर्व 12 फीट का मौके पर रास्ता कायम कर नक्शे में तरमीम किया जाने का आदेश प्रदान फरमावें।

(ii) ऊपर वर्णित हक-हिस्से अनुसार अलग दर्ज कर मौके पर भू-विभाजन किया जाकर Separate Holding कायम किया जाने की डिक्री सादिर फरमाई जावे।

(iii) वादी के हक-हिस्से व कब्जा काशत की भूमि में प्रतिवादीगण किसी प्रकार का दखल नहीं डालें न ही अपने एजेन्टों से डलवाएं व मौके की यथास्थिति कायम रखें इस आशय की स्थाई निषेधाज्ञा की डिक्री सादिर फरमाई जावे।

(iv) कि खर्चा मुकदमा वादीगण को दिलाया जावे तथा अन्य अनुतोष जो भी वादीगण के हक में हो, प्रदान करावें।

वाद वादीगण दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादीगण बावजूद इतला अनुपस्थित रहे, जिससे उनके विरुद्ध एक-पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई। प्रतिवादी सं. 3 की ओर से श्री दौलत खॉ अधिवक्ता अपर लोक अभियोजक उपस्थित। किसी प्रकार का लिखित जवाब इत्यादि प्रस्तुत नहीं करना चाहते।

दस्तावेजी साक्ष्य में नकल खतौनी सम्वत 2075-2078 ग्राम आसपुरा पटवार मण्डल जिलिया तहसील कुचामनसिटी के खाता संख्या 5 की नकल, नक्शा ट्रेस की नकल, वादीगण की ओर से मुख्य परीक्षण में चन्द्राराम, हणमानराम, गवाह कानाराम बोदूराम के शपथ-पत्र प्रस्तुत किये।

वकील वादी की एक-पक्षीय बहस सुनी गई। वादी वकील द्वारा वाद पत्र में अंकित इस्तदुआ अनुसार बंटवारा कर सेपरेट होल्डिंग कायम की जावें तथा खसरा नम्बर 384, 385, 403, 404 में खातेदारी घोषित की जावें तथा शेष खसरान एवं रकबे में से वादीगण का नाम हटाया जावें एवं उपरोक्त खसरो में दक्षिणी सीमा पर पश्चिम से पूर्व 12 फीट का रास्ता कायम कर नक्शे में तरमीम किया जावें। वादीगण अपने हक हिस्से की भूमि का बंटवारा करवाकर होल्डिंग कायम किये जाने के कथन किये है। उपरोक्त भूमि का वाद पत्र में अंकित तथ्यों अनुसार वादीगण अपने हक हिस्से की भूमि पर शांति से काबिज होकर काशत करते आ रहे है तथा बंटवारा कराकर अपना-अपना हक-हिस्सा पृथक कराना चाहते है। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात इत्यादि का अवलोकन किया गया। प्रतिवादीगण का अनुपस्थित रहना इस बात की ताईद करता है कि वादीगण द्वारा चाहे गये खसरान का बंटवारा किये जाने में उन्हे किसी प्रकार की आपत्ति नहीं है। अतः वाद वाद वादीगण काबिल प्राथमिक डिक्री योग्य पाये जाने पर प्राथमिक डिक्री जारी की जाकर तहसीलदार कुचामन सिटी से बंटवारा स्कीम प्राप्त की गई। तहसीलदार कुचामन सिटी ने अपने पत्रांक/भू.अ./2024/2404 दिनांक 07.11.2024 के बंटवारा स्कीम तैयार कर भिजवाई गई। तहसीलदार कुचामनसिटी द्वारा प्रस्तुत बंटवारा स्कीम प्रस्तुत कर कथन किया है कि मौके पर उपस्थित पक्षकारान व पड़ोसियो ने संलग्न नजरी नक्शा अनुसार वादीगण एवं प्रतिवादीगण का कब्जा काशत होना बताया है। नजरी नक्शा अनुसार पक्षकारान मौके पर काबिज है तथा इसी अनुसार इनका कब्जा काशत चला आ रहा है। मौके पर कब्जानुसार ही जोत विभाजन करवाना चाहते है। पक्षकारान का कब्जा काशत नजरी नक्शा में दर्शाया गया है।




उपखण्ड अधिकारी
कुचामन सिटी (डी.डी.वा.क.)

अधिवक्ता वादी की अन्तिम डिक्री हेतु बहस का मनन एवं संलग्न प्राथमिक डिक्री व तहसीलदार कुचामनसिटी से प्राप्त मौका रिपोर्ट (विभाजन प्रस्ताव) का अवलोकन करने से न्यायालय का मत है कि खातेदारान/पक्षकारान का वाद काबिल अन्तिम रूप से डिक्री पाया जाने से निम्न प्रकार अन्तिम रूप से डिक्री जारी की जाती है।

आदेश

वाद वादीगण अन्तिम डिक्री किया जाकर ग्राम आसपुरा तहसील कुचामन सिटी की सरहद में स्थित कृषि भूमि खसरा नं. 382 रकबा 2.77 हैक्टर, खसरा नं. 383 रकबा 2.61 हैक्टर, खसरा नं. 384 रकबा 2.33 हैक्टर, खसरा नं. 385 रकबा 7.21 हैक्टर, खसरा नं. 387 रकबा 5.25 हैक्टर, खसरा नं. 388 रकबा 4.60 हैक्टर, खसरा नं. 392 रकबा 4.20 हैक्टर, खसरा नं. 396 रकबा 2.55 हैक्टर, खसरा नं. 397 रकबा 1.36 हैक्टर, खसरा नं. 398 रकबा 0.01 हैक्टर, खसरा नं. 399 रकबा 0.15 हैक्टर, खसरा नं. 400 रकबा 0.01 हैक्टर, खसरा नं. 401 रकबा 0.10 हैक्टर, खसरा नं. 402 रकबा 3.65 हैक्टर, खसरा नं. 403 रकबा 3.78 हैक्टर, खसरा नं. 404 रकबा 3.25 हैक्टर, खसरा नं. 405 रकबा 2.75 हैक्टर, खसरा नं. 406 रकबा 3.10 हैक्टर, खसरा नं. 407 रकबा 2.76 हैक्टर, खसरा नं. 408 रकबा 0.21 हैक्टर, खसरा नं. 409 रकबा 0.99 हैक्टर, खसरा नं. 410 रकबा 0.44 हैक्टर, खसरा नं. 411 रकबा 1.82 हैक्टर, खसरा नं. 430 रकबा 1.55 हैक्टर, खसरा नं. 431 रकबा 2.10 हैक्टर, खसरा नं. 432 रकबा 0.47 हैक्टर, खसरा नं. 433 रकबा 1.70 हैक्टर, खसरा नं. 434 रकबा 0.01 हैक्टर, खसरा नं. 435 रकबा 0.04 हैक्टर, खसरा नं. 436 रकबा 2.31 हैक्टर, खसरा नं. 437 रकबा 1.30 हैक्टर, खसरा नं. 544/412 रकबा 0.55 हैक्टर, खसरा नं. 548/429 रकबा 0.10 हैक्टर, खसरा नं. 549/429 रकबा 0.20 हैक्टर कुल रकबा 66.23 हैक्टर में वादी सं. 1 चन्द्राराम पुत्र नानूराम को हिस्सा 173/6623, वादी सं. 2 रामेश्वरलाल पुत्र चन्द्राराम को हिस्सा 173/6623, वादी सं. 3 भंवरलाल पुत्र पेमाराम को हिस्सा 173/13246, वादी सं. 4 हणमानराम पुत्र पेमाराम को हिस्सा 173/13246 के खातेदार काश्तकार घोषित किये जाते हैं। तहसीलदार कुचामनसिटी द्वारा प्रस्तुत मौका रिपोर्ट (विभाजन प्रस्ताव) दिनांक 07.11.2024 निर्णय का भाग रहेगी। अन्तिम डिक्री पर्चा भरा जाकर शामिल मिसल हो। बंटवारा पर देय स्टाम्प ड्यूटी पेश होने पर राजस्व रेकॉर्ड में अमल दरामद एवं नक्शे में तरमीम किये जाने हेतु तहसीलदार कुचामनसिटी को तहरीर जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 23/01/2025 को सरे इजलास सुनाया गया।



(सनील कुमार IAS)
जिल्हाधिकारी
कुचामन (कुचामनसिटी-कुचामन)

डिक्री मुकदमा इबोदाई
(ओ.20 रूल 6-7 जाब्ता दीवानी)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कुचामनसिटी जिला-डीडवाना-कुचामन (राज.)

बइजलास : सुनील कुमार I,RAS

राजस्व वाद संख्या :- 05/2020 RCMS 2020/00012

वादीगण :-

1. चन्द्राराम पुत्र नानूराम जाति जाट उम्र 63 वर्ष
 2. रामेश्वरलाल पुत्र नानूराम जाति जाट उम्र 58 वर्ष
 3. भंवरलाल पुत्र पेमाराम जाति जाट उम्र 44 वर्ष
 4. हणमानराम पुत्र पेमाराम जाति जाट उम्र 39 वर्ष
- निवासियान ग्राम आसपुरा (जोड़पुरा) तहसील कुचामन सिटी जिला डीडवाना-कुचामन, राज.।

बनाम

प्रतिवादीगण :-

1. अन्जू चौधरी पत्नी बलवीरसिंह
2. उगमाराम पुत्र मगनाराम
3. उगमाराम पुत्र गुलाराम
4. ओमप्रकाश पुत्र भंवरलाल
5. कमली देवी पत्नी परसाराम
6. केशाराम पुत्र गुलाराम
7. काना पुत्र खींवा
8. गंगा पुत्र खींवा
9. गिरधारीलाल पुत्र भंवरलाल
10. रमेश पुत्र ईश्वरराम
11. कृष्ण कुमार पुत्र ईश्वरराम
12. शान्ति देवी पुत्री ईश्वरराम
13. प्रियंका पुत्री बलवीर सिंह
14. नीरज चौधरी पुत्र बलवीर सिंह
15. चन्दा देवी पत्नी मोटाराम
16. दीक्षा पुत्री चेनाराम
17. पेमाराम पुत्र बोदूराम
18. नरसीराम पुत्र बोदूराम
19. दुर्गाराम पुत्र बोदूराम
20. बालूराम पुत्र जेटुराम
21. रेखा पुत्री जेटुराम
22. ज्योति पुत्री जेटुराम
23. छोटी देवी पत्नी बालूराम
24. ज्ञाना पुत्र खींवा
25. मदनाराम दत्तक पुत्र चन्द्राराम
26. झमकू देवी पत्नी सुखाराम
27. तुलछी देवी पत्नी सेवाराम
28. पदमाराम पुत्र गुलाराम
29. प्रकाश पुत्र ईश्वरराम
30. बन्नाराम पुत्र गुलाराम
31. बाबूलाल पुत्र मोतीराम
32. बोदूराम पुत्र तेजाराम



उपखण्ड अधिकारी
कुचामन सिटी (डीडवाना-कुचामन)

33. भंवरा देवी तेजाराम
34. मन्जू देवी पत्नी रामूराम
35. मदनलाल पुत्र भंवरलाल
36. मोटाराम पुत्र दानाराम
37. मोहनी देवी पत्नी दानाराम
38. रूकम देवी पत्नी उगमाराम
39. रूपा देवी पत्नी दोलाराम कीलका
40. रामनिवास पुत्र तेजाराम
41. रामूराम पुत्र मोतीराम
42. भागूराम पुत्र रामेश्वर
43. संजू देवी पत्नी रामेश्वर
44. रामेश्वरलाल पुत्र भंवरलाल
45. रामेश्वरलाल पुत्र मन्नाराम
46. लक्ष्मीनारायण पुत्र भंवरलाल
47. विमला देवी पत्नी कानसिंह
48. सेवाराम पुत्र कानाराम
49. सोहनराम पुत्र अर्जुनराम
50. हुक्माराम पुत्र मन्नाराम
51. मोहनी देवी पत्नी हेमाराम
52. हजारी पुत्र हेमाराम
53. बेगाराम पुत्र हेमाराम
54. बलराम पुत्र हेमाराम
55. भागोती पुत्री हेमाराम
56. मंजू पुत्री हेमाराम

- जाति समस्त जाट निवासियान ग्राम आसपुरा (जोड़पुरा) तहसील कुचामन सिटी,
57. सुनिता देवी पत्नी भंवरलाल जाति जाट निवासी ग्राम भंवरपुरा तहसील कुचामन सिटी
 58. फूली देवी पत्नी गोविन्दराम जाति जाट निवासी धोलासरी तहसील दांतारामगढ़ जिला सीकर,
 59. मैनेजर स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया शाखा कुचामन सिटी।
 60. मैनेजर पंजाब नेशनल बैंक शाखा कुचामन सिटी।
 61. मैनेजर एक्सिस बैंक शाखा कुचामन सिटी।
 62. मैनेजर सेंट्रल बैंक ऑफ इण्डिया शाखा कुचामन सिटी।
 63. मैनेजर बैंक ऑफ इण्डिया शाखा कुचामन सिटी।
 64. मैनेजर बैंक ऑफ बड़ौदा शाखा कुचामन सिटी।
 65. मैनेजर ओरियन्टल बैंक ऑफ कॉमर्स शाखा कुचामन सिटी।
 66. मैनेजर जयपुर थार ग्रामीण बैंक शाखा कुचामन सिटी।
 67. मैनेजर सेंट्रल बैंक ऑफ इण्डिया शाखा जिलिया।
 68. राजस्थान सरकार जरिए प्रतिनिधि तहसीलदार कुचामन सिटी (भूमिधारी)।

दावा इस्तकरार हक, भू-विभाजन व स्थाई निषेधाज्ञा बाबत अन्तर्गत धारा 88, 53, 188 राज. काश्तकारी अधिनियम 1955

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रू-बरू वकील श्री राजेश गुर्जर अधिवक्ता हाजिरी.....
मिनजानिब मुदई रू-बरू मिनजानिब मुदायलह पेश होकर हुकम दिया जाता है कि वाद
वादीगण प्राथमिक डिक्री किया जाकर ग्राम आसपुरा तहसील कुचामन सिटी की सरहद में स्थित कृषि भूमि
खसरा नं. 382 रकबा 2.77 हैक्टर, खसरा नं. 383 रकबा 2.61 हैक्टर, खसरा नं. 384 रकबा 2.33 हैक्टर,
खसरा नं. 385 रकबा 7.21 हैक्टर, खसरा नं. 387 रकबा 5.25 हैक्टर, खसरा नं. 388 रकबा 4.60 हैक्टर,
खसरा नं. 392 रकबा 4.20 हैक्टर, खसरा नं. 396 रकबा 2.55 हैक्टर, खसरा नं. 397 रकबा 1.36 हैक्टर,




उपखण्ड अधिकारी
कुचामन सिटी (डीडवाना-कुचामन)

खसरा नं. 398 रकबा 0.01 हैक्टर, खसरा नं. 399 रकबा 0.15 हैक्टर, खसरा नं. 400 रकबा 0.01 हैक्टर, खसरा नं. 401 रकबा 0.10 हैक्टर, खसरा नं. 402 रकबा 3.65 हैक्टर, खसरा नं. 403 रकबा 3.78 हैक्टर, खसरा नं. 404 रकबा 3.25 हैक्टर, खसरा नं. 405 रकबा 2.75 हैक्टर, खसरा नं. 406 रकबा 3.10 हैक्टर, खसरा नं. 407 रकबा 2.76 हैक्टर, खसरा नं. 408 रकबा 0.21 हैक्टर, खसरा नं. 409 रकबा 0.99 हैक्टर, खसरा नं. 410 रकबा 0.44 हैक्टर, खसरा नं. 411 रकबा 1.82 हैक्टर, खसरा नं. 430 रकबा 1.55 हैक्टर, खसरा नं. 431 रकबा 2.10 हैक्टर, खसरा नं. 432 रकबा 0.47 हैक्टर, खसरा नं. 433 रकबा 1.70 हैक्टर, खसरा नं. 434 रकबा 0.01 हैक्टर, खसरा नं. 435 रकबा 0.04 हैक्टर, खसरा नं. 436 रकबा 2.31 हैक्टर, खसरा नं. 437 रकबा 1.30 हैक्टर, खसरा नं. 544/412 रकबा 0.55 हैक्टर, खसरा नं. 548/429 रकबा 0.10 हैक्टर, खसरा नं. 549/429 रकबा 0.20 हैक्टर कुल रकबा 66.23 हैक्टर में वादी सं. 1 चन्द्राराम पुत्र नानूराम को हिस्सा 173/6623, वादी सं. 2 रामेश्वरलाल पुत्र चन्द्राराम को हिस्सा 173/6623, वादी सं. 3 भंवरलाल पुत्र पेमाराम को हिस्सा 173/13246, वादी सं. 4 हणमानराम पुत्र पेमाराम को हिस्सा 173/13246 के खातेदार काश्तकार घोषित किये जाते हैं। तहसीलदार कुचामनसिटी द्वारा प्रस्तुत मौका रिपोर्ट (विभाजन प्रस्ताव) दिनांक 07.11.2024 निर्णय का भाग रहेगी। अन्तिम डिक्री पर्चा भरा जाकर शामिल मिसल हो। बंटवारा पर देय स्टाम्प ड्यूटी पेश होने पर राजस्व रेकॉर्ड में अमल दरामद एवं नक्शे में तरमीम किये जाने हेतु तहसीलदार कुचामनसिटी को तहरीर जारी हो। निज मुबलिंग बाबत..... खर्चा इस मुकदमे के मय सूद भारह.... फीसदी सालाना आज की तारीख से तारीख अदायगी तक का अदा करें।

बसबत मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज दिनांक 23 माह 01 सन 2025 को जारी की गई।

मुदई	रूपयें	पैसे	मुदायलय	रूपयें	पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा			स्टाम्प अर्जी दावा		
स्टाम्प वकालत नामा			स्टाम्प अर्जी		
स्टाम्प कजह सबूत			महन्ताना वकिल		
महन्ताना वकिल			खर्चा गवाहन		
खर्चा गवाहन			फिस कमिश्नर		
फिस कमिश्नर			बबत इजराय हुकमनामा		
बबत इजराय हुकमनामा			मुतफरिक		
मीजान			मीजान		

नोट: इस खर्चा के फार्म पर कुल खर्चा हर दो फरीकेत का चाहे डिगरी के जरिये दिखाया गया हो या नहीं, दर्ज करना चाहिए।



[Signature]
 अखण्ड अधिकारी
 कुचामन सिटी (डाबवाना-कुचामन)